राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2158/2008/टोंक.
2. अपील संख्या – 2159/2008/टोंक.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–प्रथम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बागरीज इण्डिया लिमिटेड,
एफ 33, 35 इण्डस्ट्रियल एरिया, निवाई जिला टोंक. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/06/2016

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन वृत–प्रथम राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 7/वैट/2007–08 व 8/वैट/2007–08 में पारित पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 29.05.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होनें कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 61 एवं 55 में दिनांक 08.05.2007 को पारित आदेशों को आंशिक रूप से अपास्त करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुये, रिवर्स टैक्स व ब्याज की पुष्टि की गयी है। दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पत्रावली पर पृथक पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का लेखा अवधि 01.04.2006 से 30.06.2006 व लेखा अवधि 01.07.2006 से 30.09.2006 तक की अवधि का कर निर्धारण वैट अधिनियम की धारा 25, 61, 55 में आदेश पारित करते हुये क्रमशः कर रुपये 2,97,073/– ब्याज रुपये 35,649/– धारा 61(1) में शास्ति रुपये 5,94,146/– व धारा 61(2)B में रुपये 5,94,146/– एवं कर रुपये 3,18,627/– ब्याज रुपये 38,192/– धारा 61(1) में शास्ति रुपये 6,36,534/– व धारा 61(2)B में रुपये 6,36,534/– आरोपित किए गए।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से बहस करते हुए अपीलीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण है तथा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में त्रुटि की गई है। करमुक्त माल चापड़ पर आई.टी.सी का अविधिक उपयोग किया गया है। अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की मांग करते हुये अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गेंहू से आटा, मैदा, सूजी, चापड़ तथा रिफरेक्शन का निर्माण कर विक्रय किया गया है। आटा, मैदा, सूजी पर 4% की कर दर विहित की गई है। चापड़ करमुक्त है। लेखा अवधि 01.042006 से 30.06.2006 तक की अवधि में खरीदे गए गेहूं पर रुपये 18,85,310/— का कर चुकाया है तथा पैकिंग मैटेरियल पर रुपये 22,671/— का कर चुकाया है तथा इस अवधि में कुल आई.टी.सी. 19,07,981.15 रुपये का दावा किया गया है। लेखा अवधि 01.07.2006 से 30.09.2006 तक की अवधि में क्रय किये गये गेहूं पर रुपये 21,74,144.90 का कर चुकाया है तथा पैकिंग मैटेरियल पर रूपये 17,775/— का कर चुकाया है। कुल आई.टी.सी 21,98,826/— रुपये का दावा किया है। वैट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत करमुक्त माल के निर्माण के लिये प्रयुक्त माल पर आई.टी. सी. अनुज्ञेय नहीं होती है। क्रय किये गये माल से करयोग्य व करमुक्त माल का निर्माण कर विक्रय किये जाने की स्थिति में खरीदे गये माल पर चुकाई गई आई.टी.सी का आनुपातिक रुप से दावा स्वीकार योग्य होगा अर्थात् करमुक्त माल के निर्माण में प्रयोग में लिये गये माल पर आई.टी.सी का दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा। इस अवधारणा के आधार पर करमुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त माल की सीमा तक आनुपातिक रुप से आई.टी.सी. का दावा अस्वीकार किया गया तथा धारा 61 में शास्ति का आरोपण किया गया।

7. वैट अधिनियम की धारा 18(1) निम्न प्रकार है :—

18. Input Tax Credit. –

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub–section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of –

लगातार.....3

(a) sale within the State of Rajasthan; or

(b) sale in the course of inter–State trade and commerce; or

(c) sale in the course of export outside the territory of India; or

(d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or

(e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter–State trade or commerce; or

(f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or

(g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub–section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub–section.

8. वैट अधिनियम की धारा 61 निम्न प्रकार है :–

61. Penalty for avoidance or evasion of tax. –

(1) Where any dealer has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein or has concealed any transactions of sale or purchase from his accounts, registers or documents required to be maintained by him under this Act or has avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner, may direct that such dealer shall pay by way of penalty, in addition to the tax payable by him under this Act, a sum equal to two times of the amount of tax avoided or evaded.

(2) Notwithstanding anything contained in sub–section (1), where any dealer has availed input tax credit wrongly, the assessing authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner shall reverse such credit of input tax and shall impose on such dealer–

(a) in case such credit is availed on the basis of false or forged VAT invoices, a penalty equal to four times of the amount of such wrong credit; and

(b) in other cases, a penalty equal to double the amount of such wrong credit.

लगातार.....4

9. दोनों अपीलों में विवाद के समान बिन्दु के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवचंन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर न्यायिक दृष्टांत (2012) 32 टैक्स अपडेट 03** में निर्णय दिया गया है कि –

> "Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 enforced w.e.f. 01-04-2006 section 18 of the RVAT Act, Input tax credit- Reverse Tax imposed by the assessing authority on the sale of VAT exempted goods, namely wheat bran (chaaf/choker) while party allowing the revision petitions the Rajasthan High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur held that:- (1) In the considered opinion of this court in view of specific provisions contained in section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgment relied upon by the learned counsel for the respondent assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credits in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case namely "Aata", "Maida" and suji manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods namely wheat bran (Chaff/choker), which has been assessed by the assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent assessee, (2) therefore as far as impugned order of learned Tax board dated 13-03-2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this court and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed (3) As far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned the imposition of the same by the assessing Authority under section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit A benefit a doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee. (4) In these circumstances therefore. It is found to be fit case for deletion of penalty on the respondent assessee and the deletion of said penalty by two appellate forums below of Dy. Commissioner (Appeals) and Tax board, is liable to be held Justified."

लगातार.....5

10. हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी ने वैट अधिनियम की धारा 61 में आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पैरा 9 में ऐसे प्रकरण में धारा 61 में शास्ति आरोपण को विधिसम्मत नहीं होना निर्णित किया है। उक्त निर्णय में दी गई व्यवस्था हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः लागू होती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 में आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

11. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 24/06/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य